न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—मुनिदेव यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या—28/21

मोहनमुरारी पुत्र स्व0 श्री नैमीचंद जाति महाजन नि0 वैर तह0 वैर भरतपुर

—प्रार्थी

बनाम

लैंड होल्डर तहसीलदार वैर

—अप्रार्थी

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति : 1. विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण चंद मिश्र (प्रार्थी)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर (अप्रार्थी)

आदेश

निर्णय दिनांक 10.03.2022

यह है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आराजी ख0न0 115 रकवा 1 एयर, 116 रकवा 1.33है0, 117 रकवा 63 एयर, 118 रकवा 1.49है0, 120 रकवा 1.32है0, कुल किता 5 कुल रकवा 4.78है0 स्थित ग्राम चक खोहरी तह0 वैर जिला भरतपुर है। जिसमें सायल 1/8 हिस्से, तथा ख0न0 1 रकवा 0.7है0 जिसमें प्रार्थी 1/18 व 1/144 हिस्सा, ख0न0 103 रकवा 88 एयर, 105 रकवा 39 एयर कुल किता 2 रकवा 1.27है0 जिसमें सायल 1/72 व 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। लेकिन जमाबंदी में प्रार्थी के नाम के आगे मोहन उर्फ मोहन मुरारी पुत्र श्री नेमीचंद हिस्सा 1/8 दर्ज है। जबकि सायल का सही नाम मोहनमुरारी पुत्र नेमीचंद है। सायल के द्वारा पेश किये गये समस्त रिकार्ड आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, विधुत विल, विधानसभा निवार्चक नामावली, बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम मोहनमुरारी पुत्र नेमीचंद दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी कम संख्या 13 पर सायल के नाम के आगे मोहन पुत्र नेमीचंद हिस्सा 1/18 तथा कम संख्या 14 पर मोहन उर्फ मोहनमुरारी पुत्र नेमीचंद दर्ज है। प्रार्थना पत्र की जमाबंदी में कम संख्या 10 पर सायल के नाम के आगे मोहन उर्फ मोहनमुरारी पुत्र नेमीचंद हिस्सा 1/72 तथा कम संख्या 11 पर मोहनलाल पुत्र नेमीचंद हिस्सा 1/9 दर्ज कर रखा है। तथा राजस्व कर्मचारियों ने गलती से सायल के सही नाम मोहन मुरारी पुत्र नेमीचंद के स्थान पर कही मोहन पुत्र नेमीचंद कही मोहनलाल पुत्र नेमीचंद तो कहीं मोहन पुत्र नेमीचदं दर्ज कर रखा है। जो कि कानूनन सम्भव नहीं है। राजस्व कर्मचारियों की उक्त लिपिकीय गलती जमाबंदी रिकार्ड में स्पष्ट दृष्टिगोचर है। जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी रिकार्ड में सायल का सही नाम मोहनमुरारी पुत्र नेमीचंद है। के आधार पर प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड की जमाबंदियों में अपने नाम को दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक है।

प्रार्थी का दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से अपने जबाब में मोहन मुरारी पुत्र नैमीचंद जाति वेश्य जाति वंडा मोहल्ला भरतपुर गेट वैर के नाम जांच की गई जांच मुताबिक मोहन मुरारी पुत्र नैमीचंद के दस्तावेजों में नाम श्री मोहन मुरारी है लेकिन

आस–पडौस के लोग कोई मोहन कोई मोहन मुरारी नाम से जानते हैं। इस नाम कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। श्री मोहन मुरारी पुत्र श्री नैमीचंद सही होना जाहिर किया है।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना –पत्र के साथ नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 जमाबंदी 2074 से 2074 वोटर–लिस्ट, आधार–कार्ड, परिचय–पत्र, राशन–कार्ड, विजली–विल, बैंक–पासबुक की फोटो प्रति पेश की हैं। प्रार्थी ने साक्ष्य में नीरज, मोहन मुरारी के शपथ–पत्र पेश कर जाहिर किया की मोहनलाल,मोहर, मोहन मुरारी एक ही व्यक्ति हैं। सही नाम श्री मोहन मुरारी पुत्र श्री नैमीचंद होना बताया है। पैराकार सरकार के जबाब एवं पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी 2075 से 2078 में मोहन उर्फ मोहन मुरारी पुत्र नैमीचंद एवं सवंत् 2075–78 मोहनलाल पुत्र नैमीचंद एंव सवंत् 2074 में मोहनलाल दर्ज रिकार्ड है। तथा वोटर–लिस्ट, आधार–कार्ड, परिचय–पत्र, राशन–कार्ड, विजली–विल, बैंक–पासबुक में प्रार्थी का नाम श्री मोहन मुरारी पुत्र श्री नैमीचंद दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वकील प्रार्थी की एवं पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी मोहन मुरारी का नाम कहीं मोहनलाल कहीं मोहन एवं कहीं मोहनमुरारी पुत्र नेमीचंद जाति वैश्य कस्वा वैर दर्ज है। तथा प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये समस्त दस्तावेजों से विदित होता है कि मोहनमुरारी एक ही व्यक्ति है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग नाम मोहनलान,मोहन, मोहनमुरारी दर्ज है। तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में वोटर–लिस्ट, आधार–कार्ड, परिचय–पत्र, राशन–कार्ड, विजली–विल, बैंक–पासबुक मोहन मुरारी पुत्र नैमीचंद दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता तथा आदेश दिये जातें हैं कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के हो रहे गलत इंद्राज मोहन, मोहनलाल एवं मोहन मुरारी को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर मोहन मुरारी पुत्र नैमीचंद जाति महाजन नि0 वैर तह0 वैर जिला भरतपुर किया जावे। जिसके राजस्व रिकार्ड में शुद्व किये जाने हेतु तहसीलदार वैर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
उपखण्ड अधिकारी
वैर, भरतपुर